

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : हिमांशु गुप्ता, आई०ए०एस०

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सं. 02/2008

प्रार्थीगण-

उकाराम पुत्र हबताराम जाति माली
निवासी सिन्धासवा चौहान तहसील
गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण-

कानाराम पुत्र रूगाराम के कायम मुकाम

1. पोकरराम पुत्र कानाराम के कायम मुकाम

1.1 श्रीमती धाई पत्नी पोकरराम

1.2 श्रीमती नोजी पत्नी मंगलाराम

1.3 मुकेश पुत्र मंगलाराम

1.4 मनोहर पुत्र मंगलाराम

2. हरा पुत्र कानाराम

3. डूंगरा पुत्र काना के कायम मुकाम

3.1 श्रीमती अन्तरो पत्नी डूंगराराम

3.2 पैलाद पुत्र डूंगराराम

3.3 तुलसा पुत्र डूंगराराम

3.4 मूलाराम पुत्र डूंगराराम

3.5 चम्पाराम पुत्र डूंगराराम

4. दला पुत्र काना

5. मोडा पुत्र स्वरूपा

6. मंगला पुत्र स्वरूपा

7. प्रतापा पुत्र स्वरूपा

8. तिलोका पुत्र स्वरूपा

9. श्रीमती फूली देवी पत्नी स्वरूपा

जाति जटिया निवासी सिन्धासवा चौहान

तहसील गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर

10. प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड

जयपुर शाखा-गुड़ामालानी

11. तहसीलदार गुड़ामालानी




जिला कलक्टर
बाड़मेर

राजस्व आवेदन पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 विरुद्ध भूमि आवंटन आदेश दिनांक 26.10.1977 जिसके द्वारा मौजा सिन्धासवा चौहान के खसरा नम्बर 209 रकबा 61-06 बीघा एवं मौजा भाखरपुरा के खसरा नम्बर 26/18 रकबा 08-19 बीघा भूमि आवंटन की गई।

उपस्थिति :-

1. प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से एकपक्षीय।
2. श्री मदनलाल सिंहल, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1से9 की ओर से उप0।
3. श्री सोहन दवे, राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 11 की ओर से उप0।
4. अप्रार्थी सं. 10 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक : 23/07/2019

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि भूमि आवंटन सलाहाकार समिति की बैठक दिनांक 26.10.1977 के दौरान कृषि भूमि के नियमन हेतु प्रस्तुत मामलों में क्रम संख्या 2 पर अंकित अतिक्रमी सरूपा, पोखरा, हरू, दला, डूंगरा पि0 काना के नाम ग्राम सिन्धासवा चौहान के खसरा नम्बर 209 की रकबा 69-19 बीघा किस्म गैर मुमकीन नदी एवं काना वल्द रूगा के नाम मौजा भाखरपुरा के खसरा नम्बर 26 रकबा 08-19 बीघा किस्म गैर मुमकीन नदी भूमि नियमन किये जाने की अनुशंषा की गई। उक्त प्रार्थीगण सरूपा वगैरह के पास पूर्व धारित रकबा 06-10 बीघा तथा काना वल्द रूगा के द्वारा धारित रकबा 40-00 बीघा होना कार्यवाही रजिस्टर में अंकित किया गया है। प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र के द्वारा अवगत कराया है कि काना पुत्र रूगा के नाम दिनांक 01.07.1966 को मौजा सिन्धासवा चौहान के खसरा नम्बर 209 में ही रकबा 20-00 बीघा भूमि आवंटित हुई थी तथा इसी दिन इसके पुत्रों पोकर व सरूपा के नाम भी 20-20 बीघा भूमि आवंटित हुई। इसके पश्चात दिनांक 01.06.1968 को भी काना पुत्र रूगा के नाम मौजा सिन्धासवा चौहान के खसरा नम्बर 209 में 40-00 बीघा भूमि आवंटित हुई थी। आवंटी काना पुत्र रूगा ने दिनांक 26.10.1977 को आवंटन सलाहाकार समिति के समक्ष गलत तथ्य पेश कर स्वयं





जिला कलक्टर
बाड़मेर

को भूमिहीन बताकर आवंटन करवा लिया एवं अपने नाबालिग पुत्रों पोकर व सरूपा के नाम भी आवंटन करवाया है, जिसके विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम, 1970 के अन्तर्गत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण जवाब हेतु जरिये नोटिस तलब हुए। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं दोनो पक्षों की ओर से प्रस्तुत गवाहान के बयान एवं अभिलेखीय साक्ष्य के अवलोकन उपरांत निर्णय दिनांक 09.11.2010 के द्वारा आवंटन सलाहाकार समिति की ओर से दिनांक 26.10.1977 को आवंटी सरूपा, पोकर पि. काना के पक्ष में खसरा नम्बर 209 रकबा 61-06 बीघा एवं काना पुत्र रूगा के पक्ष में खसरा नम्बर 26 रकबा 08-19 बीघा के आवंटन को निरस्त किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को उक्त भूमि कब्जा प्राप्त कर राजस्व अभिलेख में बहक सरकार अमल दरामद करने के निर्देश प्रदान किये गये। इस आदेश से व्यथित होकर अप्रार्थीगण द्वारा प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत की गई। राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर द्वारा दोनो पक्षों की सुनवाई पश्चात उनके समक्ष प्रस्तुत अपील सं. 11/2012 में पारित निर्णय दिनांक 25.03.2015 के द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 09.11.2010 को अपास्त करते हुए प्रकरण पुनः इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि आवंटन सलाहाकार समिति का रिकॉर्ड तलब करते हुए साक्ष्य प्रतिवादी पर मनन उपरांत आवंटन नियमों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थीगण की पात्रता के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें। इस पर यह प्रकरण पुनः नम्बर पर कायम होकर पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किया एवं आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में किये गये आवंटन से सम्बन्धित कार्यवाही रजिस्टर मंगवाया जाकर अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा आवंटी सरूपा व पोकर को वक्त आवंटन बालिग होना बताते हुए साक्ष्य स्वरूप वर्ष 1988 की मतदाता सूची की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई।




जिला कलेक्टर
बाड़मेर

3. हमने अप्रार्थीगण के योग्य अधिवक्ता को सुना एवं प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया। इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय पर राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा मूलतः दो बिन्दुओं पर प्रकरण रिमाण्ड किया गया है, जिसमें प्रथम यह कि आवंटन से सम्बन्धित अभिलेख तलब किया जाकर अवलोकन किया जावें एवं आवंटीगण की पात्रता की जांच नियमों के परिप्रेक्ष्य में करते हुए पुनः साक्ष्य लेते हुए निर्णय पारित किया जावें। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने आवंटी सरूपा व पोकर के वक्त आवंटन नाबालिग नही होने के सम्बन्ध में प्रस्तुत गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची वर्ष 1988 भाग सं. 69 के क्रम सं. 352, 353, 356, 360, 362, 364 व 366 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि सरूपा व पोकर वक्त आवंटन क्रमशः 37 व 34 वर्ष के थे। इस प्रकार उक्त आवंटीगण प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर आवंटन के समय बालिग थे किन्तु इनके द्वारा वक्त आवंटन स्वयं के द्वारा धारित भूमि 06-10 बीघा ही बताई गई, जबकि इनके पक्ष में आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा दिनांक 01.07.1966 को मौजा सिन्धासवा चौहान के खसरा नम्बर 209 में 20-20 बीघा भूमि आवंटित की गई थी। इसी प्रकार आवंटी काना पुत्र रूगा को भी दिनांक 01.07.1966 में खसरा नम्बर 209 में 20-00 बीघा तथा दिनांक 01.06.1968 को ग्राम सिन्धासवा चौहान के खसरा नम्बर 176 में रकबा 40-00 बीघा भूमि आवंटित हुई थी। इस प्रकार आवंटीगण ने आवंटन सलाहाकार समिति के समक्ष पूर्व में उनके द्वारा धारित भूमि की गलत सूचना देकर उक्त आवंटन करवाया गया है। इस बिन्दु पर अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा कोई प्रतिरक्षणस्वरूप कथन नहीं किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा न्यायिक निर्णय नजीर आरआरडी 2018 पेज 479, डीएनजे 2016 पेज 732 एवं आरआरडी 2007 पेज 713 प्रस्तुत कर प्रकट किया कि अप्रार्थीगण के पक्ष में वर्ष 1977 में हुए आवंटन के लगभग करीब 30 वर्ष बाद प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन की सभी शर्तों की पालना की गई है एवं आवंटन के बाद लगातार अप्रार्थीगण का कब्जा-काश्त है जिससे खातेदारी अधिकार भी प्रदान किये जा चुके हैं। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक






जिला कलक्टर
जायपुर

निर्णय नजीरों के अवलोकन से माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये अभिमत इस प्रकरण के तथ्यों से परे होने से इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं। अप्रार्थीगण के पक्ष में वर्ष 1966 व 1968 में भूमि आवंटन होना अभिलेख पर है तथा इसे अप्रार्थीगण द्वारा अस्वीकार भी नहीं किया है ऐसे में यह तथ्य साबित है कि दिनांक 26.10.1977 को आवंटन सलाहाकार समिति के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत किये जाकर आवंटन कराया गया है, जिसे बहाल रखा जाना कतई उचित प्रतीत नहीं होता है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से प्रकट किया गया है इस कार्यवाही का 30 वर्ष की लम्बी समयावधि के बाद प्रस्तुत किया जाना एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने से आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है, यह तर्क नियम 14(4) के विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में मानने योग्य नहीं है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जो कोई आदेश प्रारम्भ से ही तथ्यों को छिपाकर जारी करवाया गया हो, उसके लिए मयाद की कोई सीमा नहीं हो सकती है। ऐसे में अप्रार्थीगण के पक्ष में भूमि आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा दिनांक 26.10.1977 को किये गये आवंटन निरस्त योग्य है।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के उपरांत यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि आवंटन सलाहाकार समिति की ग्राम भाखरपुरा में आयोजित बैठक दिनांक 26.10.1977 के दौरान कृषि भूमि के नियमन हेतु प्रस्तुत मामलों में क्रम संख्या 2 पर अंकित अतिक्रमी सरूपा, पोखरा, हरू, दला, डूंगरा पि0 काना के नाम ग्राम सिन्धासवा चौहान के खसरा नम्बर 209 की रकबा 69-19 बीघा किस्म गैर मुमकीन नदी एवं काना वल्द रूगा के नाम मौजा भाखरपुरा के खसरा नम्बर 26 रकबा 08-19 बीघा किस्म गैर मुमकीन नदी भूमि नियमन निरस्त किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि का कब्जा बहक सरकार लिया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमलदरामद कर पालना से अवगत करावें।

5. निर्णय आज दिनांक 23.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर, बाडमेर
जिला कलक्टर
बाडमेर